बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

सकारण आदेश

आ०स०:–3/अ0प्र0–4–02/2022 9210 /पटना, दिनांक :– 27.8.25

श्री राधेश्याम राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी के विरूद्ध पी०एम0जी०एस०वाई० के तहत सड़क संख्या–119 तारापट्टी से मध्य विद्यालय डाढ़ (दक्षिणी) खजौली तक पथ निर्माण कार्य के फ्लैंक में मिट्टी की कम मात्रा डालकर अधिक मात्रा का भुगतान करने संबंधी आरोपों के लिये गठित आरोप पत्र के आलोक में संकल्प सं0 2415 दिनांक 29.07.2016 द्वारा मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री राम के विरूद्ध गठित आरोप अप्रमाणित पाया गया। जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति संसूचित करते हुए असहमति के बिन्दुओं पर श्री राम को विभागीय पत्रांक 2705 अनु0 दिनांक 05.09.2019 द्वारा द्वितीय बचाव बयान पन्द्रह दिनों के अंदर समर्पित करने का निदेश दिया गया।

2. श्री राम द्वारा निर्धारित अवधि में द्वितीय बचाव बयान समर्पित नहीं करने के कारण एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए अधिसूचना संख्या–1105–सह–पठित ज्ञापांक–1106 दिनांक 13.08.2021 द्वारा उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत पेंशन से पाँच प्रतिशत की कटौती अगले पाँच वर्षों तक करने की शास्ति अधिरोपित की गयी।

3. उक्त शास्ति आदेश के विरूद्ध श्री राम द्वारा दायर CWJC No.-1261/2022 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 25.02.2021 को पारित न्यायादेश में श्री राम को अधिरोपित शास्ति आदेश को स्थगित रखते हुए याचिकाकर्ता श्री राधेश्याम राम को द्वितीय बचाव बयान समर्पित करने एवं विभाग को नए सिरे से इनके जवाब पर विचार कर तार्किक एवं मुखर आदेश पारित करने का आदेश दिया गया। न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

Considering the fact that the impugned order deducting the pension of the petitioner to the tune of 5 % for five years is based upon only the fact that since the petitioner has failed to file reply to the second show cause notice, differing with the finding of the Enquiry Officer, punishment has been awarded; there is no discussion with regard to the enquiry report and the explanation of the petitioner, this court deems it proper to relegate the matter to the respondent no. 2 for fresh considration. The petitioner is further directed to file a detailed explanation in response to the second show cause notice dated 05-09-2019, which has now been served upon him through supplementary counter affidavit, prefereably within a period of six weeks from today. On receipt of the explanation as aforenoted, the respondent no. 2 shall consider the same and pass a reasoned and speaking order within a further period of six weeks thereafter.

In the meantime, the impugned order as contained in Memo No. 1105 dated 13-08-2021 shall remain in abeyance.

4. उक्त न्यायादेश के आलोक में श्री राधेश्याम राम द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 20.09.2024 के माध्यम से बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सं0 119 तारापट्टी से मध्य विद्यालय डाढ़ (दक्षिणी) खजौली के निर्माण कार्य में वे कार्यपालक अभियंता एवं श्री आलोक कुमार ठाकुर, सहायक अभियंता थे। नियमानुसार कनीय अभियंता किये गए कार्य की मापी लेकर मापीपुस्त में दर्ज करते हैं तथा सहायक अभियंता स्थल की जाँच कर मापीपुस्त में हस्ताक्षर करते है। इसके बाद कार्यपालक अभियंता किए गए कार्यों का लगभग 10 प्रतिशत जाँच कर भुगतान करते हैं। प्रश्नगत मामले में श्री राम कुमार सत्यार्थी, तदेन कनीय अभियंता को विभागीय कार्यालय आदेश सं0 195 सह–पठित ज्ञापांक 2934 दिनांक 27.09.2016 द्वारा इस आधार पर आरोप मुक्त किया गया कि इनके द्वारा जॉच के पहले की मिटट्ी की न तो मापी की गई और ना ही मापी पुस्त में दर्ज किया गया। साथ ही संबंधित सहायक अभियंता को पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 5459 दिनांक 26.06.2014 द्वारा आरोप मुक्त कर दिया गया है।

5. श्री राम द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन के आलोक में दिनांक 12.11.202024 को सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में श्री राम द्वारा अपना पक्ष रखा गया। मामले पर विचारोपरान्त यह पाया गया कि मामले की समग्र समीक्षा एवं अंतिम निर्णय हेतु याचिकाकर्ता द्वारा कथित संबंधित अभियंताओं के विरूद्ध कार्रवाई से संबंधित संचिका को देखा जाना आवश्यक है।

6. श्री आलोक कुमार ठाकुर, तदेन सहायक अभियंता के विरूद्ध इस मामले में कार्रवाई से संबंधित संचिका की छायाप्रति पथ निर्माण विभाग से प्राप्त की गई। साथ ही श्री राम कुमार सत्यार्थी, तदेन कनीय अभियंता को आरोप मुक्त किये जाने संबंधी आदेश का अवलोकन किया गया। उन मामलों की समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत पथ के निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने सबंधी आरोपों की जाँचोपरान्त श्री राधेश्याम राम को छोड़कर अन्य सभी आरोपित अभियंताओं को आरोप मुक्त कर दिया गया है। इन अभियंताओं को इस आधार पर अरोप मुक्त किया गया है कि मिट्टी की कम मात्रा डालकर अधिक मात्रा का भुगतान करने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है। इस स्थिति में समान आरोप के लिए श्री राम को दोषी माने जाने का कोई आधार नहीं है। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में आरोप की त्रुटि/कमी का उल्लेख करते हुए यह प्रतिवेदित किया गया है कि जॉच पदाधिकारी मो0 अनस द्वारा इस पथ की स्थल जॉच इसके निर्माणाधीन स्थिति में की गई थी जिसके फलस्वरूप जाँच पदाधिकारी द्वारा पथ में कम मिट्टी देकर अधिक मात्रा का भुगतान करने का आरोप लगाया है। जाँच प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट नहीं है कि जॉच में कितनी मात्रा कम पाई गई। इसप्रकार लगाए गए आरोप का कोई प्रामाणिक आधार नहीं है।

7. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री राधेश्याम राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत से प्राप्त बचाव के लिखित अभिकथन को स्वीकार करते हुए प्रश्नगत मामले में उन्हें आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

8. अतः उक्त के आलोक में श्री राधेश्याम राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय अधिसूचना सं0 1105 दिनांक 13.08.2011 द्वारा अधिरोपित एवं संसूचित पेंशन से 05 % (पॉच प्रतिशत) की कटौती अगले 05 (पाँच) वर्ष तक किये जाने की शास्ति को निरस्त करते हुए उन्हें प्रश्नगत् मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–4–02/2022 9210 /पटना, दिनांक :– 27.8.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–4–02/2022 9210 /पटना, दिनांक :– 27.8.25

प्रतिलिपिः– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–4–02/2022 9210/पटना, दिनांक :– 27.8.25

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधुबनी/सहरसा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी/सहरसा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग/ आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री राधेश्याम राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पता :– ड्रीम ज्वेल अपार्टमेंट, आर0के0पुरम (सगुना मोड़), फ्लैट नं0–608 सी0 , पो0–दानापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in